This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 06 जनवरी, 2021 / 16 पौष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 7th December, 2020*

**No. HHC/GAZ/14-391/2019.—**Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 02 days commuted leave for 11-11-2020 and 12-11-2020 in favour of Ms. Eeshani Sharma, Civil Judge-*cum*-JMIC, Dehra, H.P.

Certified that Ms. Eeshani Sharma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Eeshani Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMIC, Dehra, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
*Registrar General.*

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA – 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 18th November, 2020*

**No. HHC/GAZ/14-219/96-II.—** Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave *w.e.f.* 23-11-2020 to 28-11-2020 with permission to prefix Sunday falling on 22-11-2020 and to suffix Sunday and gazetted holiday falling on 29-11-2020 & 30-11-2020 in favour of Shri Mukesh Bansal, District and Sessions Judge-*cum*-Secretary, HPHCLSC, High Court of Himachal Pradesh, Shimla.

Certified that Shri Mukesh Bansal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Mukesh Bansal would have continued to hold the post of District and Sessions Judge-*cum*-Secretary, HPHCLSC, High Court of Himachal Pradesh, Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
*Registrar General.*

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA – 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 24th December, 2020*

**No. HHC/GAZ/14-325/2011.—** Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 03 days' earned leave *w.e.f.* 25-11-2020 to 27-11-2020 and 18 days' commuted leave *w.e.f.* 28-11-2020 to 15-12-2020 in favour of Sh. Niranjan Singh, Mobile Traffic Magistrate, Mandi and Kullu at Mandi, H.P.

Certified that Sh. Niranjan Singh has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Niranjan Singh would have continued to hold the post of Mobile Traffic Magistrate, Mandi & Kullu at Mandi, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
*Registrar General.*

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA – 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 19th November, 2020*

**No. HHC/GAZ/14-329/2012.—**Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 13 days earned leave *w.e.f.* 26-10-2020 to 07-11-2020 with permission to suffix Sunday fell on 08-11-2020 in favour of Shri Gaurav Kumar, Mobile Traffic Magistrate, Solan and Sirmaur at Solan, H.P.

Certified that Shri Gaurav Kumar had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Gaurav Kumar would have continued to hold the post of Mobile Traffic Magistrate, Solan and Sirmaur at Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
*Registrar General.*

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA – 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 19th November, 2020*

**No. HHC/GAZ/14-307/2009-I.—**Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 16 days earned leave *w.e.f.* 04-12-2020 to 19-12-2020 with permission to suffix Sunday falling on 20-12-2020 in favour of Ms. Kanika Chawla, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Nadaun, H.P.

Certified that Ms. Kanika Chawla is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Kanika Chawla would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Nadaun, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
*Registrar General.*

---

**सामान्य प्रशासन विभाग**
अनुभाग–डी

अधिसूचना

शिमला–02, 1 जनवरी, 2021

**संख्याः जी0ए0डी0–डी–7(जी)1–12/81–IV**––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, फण्डामैण्टल रूल्ज के नियम 45 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः जी0ए0डी0–7 (जी) 1–12/81, तारीख 1 जून, 1994 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र असाधारण, हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई, 1994 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन ( सामान्य पूल) बारहवां संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 5 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

आवासों का वर्गीकरणः–

इन नियमों द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, अधिकारी/कर्मचारी निम्न सारणी में दर्शाए गए ग्रेड पे या मूल वेतन या वेतन सांचे (पे मेट्रिक्स) में प्रतिमान के आधार पर, जो भी लागू हो, विभिन्न वर्गों के आवासों के आबंटन के लिए पात्र होंगेः–

**सारणी– I**

| क्रम सं0 | आवास का वर्ग | अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आहरित ग्रेड पे |
|---|---|---|
| 1. | I | ₹ 1300 से ₹ 1650 |
| 2. | II | ₹ 1900 से ₹ 3600 |
| 3. | III | ₹ 3800 से ₹ 5000 |
| 4. | IV | ₹ 5400 से ₹ 8400 |
| 5. | V | ₹ 8600 से ₹ 9000 |
| 6. | VI | ₹ 10000 और इससे अधिक |

**स्पष्टीकरण.**–यदि कोई अधिकारी जो निलबंनाधीन है, तो, उस आबंटन वर्ष जिसमें उसे निलंबित किया गया था के प्रथम दिन को उस द्वारा आहरित ग्रेड पे या यदि उसको आबंटन वर्ष के प्रथम दिन निलंबित किया

गया था, उससे ( निलम्बन) से ठीक पूर्व उसके द्वारा आहरित ग्रेड पे को विचार में लिया जाएगा। निलंबित अधिकारियों / कर्मचारियों को निवास स्थान का आबंटन नियम 7 के अधीन किया जाएगा, मानो निलम्बन हुआ ही न हो।

**सारणी–II**

| क्रम सं0 | आवास का वर्ग | अधिकारी द्वारा आहरित मूल वेतन |
|---|---|---|
| 1. | VII | ₹ 67,000 से ₹ 79,000 |
| 2. | VIII | ₹ 80,000 और इससे अधिक |

**सारणी– III**

| क्रम सं0 | आवास का वर्ग | न्यायिक अधिकारी द्वारा आहरित मूल वेतन |
|---|---|---|
| 1. | IV | ₹ 27700 से ₹ 51549 |
| 2. | V | ₹ 51550 से ₹ 57699 |
| 3. | VI | ₹ 57700 से ₹ 70289 |
| 4. | VII | ₹ 70290 और इससे अधिक |

**सारणी– IV**

इन नियमों के अधीन कोई आवेदक (अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी) निम्न सारणी में तत्स्थानी स्तम्भ(3) में विनिर्दिष्ट वेतन सांचे (पे मेट्रिक्स) के प्रतिमान के अनुसार स्तम्भ (1) में दर्शाए गए वर्ग (टाईप) के सरकारी आवास के आबंटन के लिए पात्र होगाः–

| निवास का वर्ग | पूर्व संशोधित ग्रेड पे | संशोधित वेतन में वेतन सांचे (पे मेट्रिक्स) में प्रतिमान(1–1–2016 से) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| IV | ₹ 5400<br>₹ 6600<br>₹ 7600 | प्रतिमान–10<br>₹ 56100 से ₹ 177500<br>प्रतिमान–11<br>₹ 67700 से ₹ 208700<br>प्रतिमान–12<br>₹ 78800 से ₹ 209200 |
| V | ₹ 8700<br>₹ 8900 | प्रतिमान–13<br>₹ 123100 से ₹ 215900<br>प्रतिमान–13 ए<br>₹ 131100 से ₹ 216600 |
| VI | ₹ 10000 | प्रतिमान–14<br>₹ 144200 से ₹ 218200 |
| VII | ₹ 67000<br>से<br>₹ 79000 | प्रतिमान–15<br>₹ 182200 से ₹ 224100<br>प्रतिमान–16<br>₹ 205400 से ₹ 224400 |
| VIII | ₹ 80000 और इससे अधिक | प्रतिमान–17<br>₹ 225000 |

**स्पष्टीकरण.**–शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है किः–

(क) सरकारी आवास के लिए किसी कर्मचारी की पात्रता, राज्य सरकार में वर्तमान में कर्मचारी द्वारा धारित उसके / उसकी पद के ग्रेड पे / मूल वेतन / वेतन सांचे (पे मेट्रिक्स) के प्रतिमान के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(ख) वर्ग–I से वर्ग–III के आवासों की बाबत पूर्विकता की तारीख राज्य सरकार के अधीन सेवा में कार्यग्रहण की तारीख से होगी। यदि कार्यग्रहण की तारीख एक ही (वही) हो तो पुर्विकता निम्न प्रकार से अवधारित की जाएगीः–

(i) उच्चर वेतन वाला कर्मचारी पूर्विकता सूची में वरिष्ठ होगा।

(ii) यदि वेतन बराबर है तो पूर्वतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को उच्चतर पूर्विकता प्रदान की जाएगी।

(ग) वर्ग–IV से ऊपर के आवासों के लिए पारस्परिक वरिष्ठता पर निम्नलिखित कारकों के आधार पर विचार किया जाएगाः–

(i) अधिकारी की ग्रेड पे / मूल वेतन सांचे (पे मेट्रिक्स) में प्रतिमान।

(ii) यदि एक ही ग्रेड पे / मूल वेतन सांचे (पे मेट्रिक्स) में प्रतिमान में किसी आवेदक की पूर्विकता की तारीख, उस तारीख से होगी जिसको आवेदक लगातार ऐसी ग्रेड पे / मूल वेतन सांचे (पे मेट्रिक्स) में प्रतिमान का आहरण कर रहा है।

(iii) जहां दो या दो से अधिक अधिकारियों की पूर्विकता की तारीख एक ही हो, तो अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनके मूल वेतन अर्थात् अधिकारी जिनका उच्चतर वेतन है, प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठ होंगे।

(iv) जहां दो या दो से अधिक अधिकारियों की पूर्विकता की तारीख और मूल वेतन एक समान है तो राज्य सरकार की सेवा में कार्यग्रहण की पूर्वतर तारीख पारस्परिक वरिष्ठता का अगला अवधारण सिद्धान्त होगा।

(v) जहां राज्य सरकार की सेवा में दो या दो से अधिक अधिकारियों की पूर्विकता की तारीख और मूल वेतन और कार्य ग्रहण की तारीख एक ही हो तो पूर्वतर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को बाद में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के ऊपर उच्चतर पूर्विकता प्रदान की जा सकेगी।

(घ) वर्ग–IV और इससे ऊपर के वर्ग के आवासों के लिए हकदार अधिकारी अपनी हकदारी से निम्न आवास के लिए, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसा आवास वर्ग–IV से निम्न न हो, का भी आवेदन कर सकेंगे।

(ङ) समरूप सेवा के कनिष्ठ बैच के किसी भी अधिकारी को उसी सेवा के वरिष्ठ बैच के अधिकारी से ऊपर पूर्विकता नहीं मिलेगी।

3. **नियम 6 का संशोधन.**–उक्त नियमों के नियम 6 के उप–नियम(2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2) कैलेण्डर वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों पर उस कैलेण्डर वर्ष के लिए निदेशक सम्पदा, हिमाचल प्रदेश द्वारा आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा और उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य होगा। आवेदक "पूर्विकता आधार" और "बिना बारी के आधार पर", जिसके लिए वह इन नियमों के अधीन पात्र या हकदार है, आवास के आबंटन के लिए निहित प्ररूप में निदेशक, सम्पदा को ऑनलाइन या अपने कार्यालय के माध्यम से मैन्युली आवेदन करेगा। विहित प्ररूप में नहीं प्रस्तुत आवेदनों को किसी प्रकार के आबंटन हेतु विधिमान्य नहीं समझा जाएगा।"

**4. नियम 10 का संशोधन.**–उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

किसी अधिकारी को आबंटन आवास, उप–नियम (3) के अध्यधीन, निम्न सारणी के स्तम्भ–1 में विनिर्दिष्ट किसी घटना के होने पर इसके स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिधारित किया जा सकेगा; परंतु यह तब जब कि आवास अधिकारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित होः–

| क्रम संख्या | घटना | आवास रखने के लिए अनुमत अवधि |
|---|---|---|
| (i) | सेवा से त्यागपत्र, पदच्युति या निष्कासन या सेवाओं की समाप्ति या अनुज्ञा के बिना अप्राधिकृत अनुपस्थिति। | 4 मास |
| (ii) | सेवानिवृत्ति या सेवान्त छुट्टी | 4 मास |
| (iii) | स्टेशन से बाहर स्थानान्तरण | नए स्थान पर प्रतिधारण की तारीख के पश्चात् दो मास या 10 दिन तक, जो भी पूर्वतर हो। |
| (iv) | आबंटिती की मृत्यु होने पर | 1 वर्ष |
| (v) | भारत में अन्यत्र सेवा में जाने पर | 2 मास |
| (vi) | भारत में अस्थायी स्थानान्तरण या भारत से बाहर किसी स्थान को स्थानान्तरण। | 6 मास |
| (vii) | चिन्हित आवास के अधिभोग वाले अधिकारी के स्थानान्तरण पर। | प्रभार देने की तारीख से एक मास |
| (viii) | छुट्टी (सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी, अस्वीकृत छुट्टी, सेवान्त छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी, से अन्यथा) | अधिकतम चार मास के अध्यधीन, छुट्टी की पूर्ण अवधि के लिए। |
| (ix) | सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी या अस्विकृत छुट्टी | सेवानिवृत्ति के समय अनुज्ञेय छुट्टी सहित, अधिकतम चार मास के अध्यधीन, छुट्टी की पूर्ण अवधि के लिए। |
| (x) | भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति | एक वर्ष से अनाधिक प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए। |
| (xi) | भारत या विदेश में अध्ययन छुट्टी | अध्ययन अवकाश की अवधि के लिए |
| (xii) | प्रशिक्षण पर जाने पर | प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि के लिए |
| (xiii) | प्रसूति छुट्टी और शिशु देखभाल छुट्टी | प्रसूति छुट्टी / शिशु देखभाल छुट्टी अवधि सहित उसके निरंतरीकरण में स्वीकृत की गई छुट्टी के लिए। |
| (xiv) | चार मास से अधिक अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा आधार पर छुट्टी। | अवकाश की पूर्ण अवधि के लिए |

**स्पष्टीकरण–1** मद (iii), (vi) और (vii) के सामने वर्णित स्थानान्तारण पर अनुज्ञेय अवधि की गणना, प्रभार छोड़ने की तारीख सहित नए कार्यालय में कार्य ग्रहण करने से पूर्व अधिकारी / कर्मचारी को स्वीकृत की गई या उसके द्वारा प्राप्त की गई छुट्टी की अवधि, यदि कोई हो, से की जाएगी।

**स्पष्टीकरण–2** जहां कोई अधिकारी / कर्मचारी वेतन या भत्ते के बिना चिकित्सा छुट्टी पर है, तो वह उप–नियम (2) के नीचे सारणी की मद (xiv) के अधीन रियायत के कारण अपने आवास को प्रतिधारित कर सकेगा, परंतु यह तब जबकि वह ऐसे आवास के लिए प्रतिमाह नकद में लाइसैंस फीस का परिहार करता हो और यदि वह दो मास से अधिक के लिए ऐसी लाइसैंस फीस का परिहार करने में असफल रहता है, तो आबंटन रद्द हो जाएगा।

**स्पष्टीकरण–3** जहां कोई आवास उप–नियम (2) के अधीन प्रतिधारित किया जाता है, तो आबंटन अनुज्ञेय रियायती अवधियों के अवसान पर रद्द समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण–4** कोई अधिकारी जिसने उपरोक्त उप–नियम (2) के नीचे सारणी की मद (i) और (ii) के अधीन रियायत के कारण आवास प्रतिधारित किया है, तो वह उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर

किसी पात्र पद पर पूर्णनियोजन पर इन नियमों के अधीन इस आवास को प्रतिधारित करने का हकदार होगा; किन्तु यदि ऐसे पुनः नियोजन पर अधिकारी की उपलब्धियां उसे, उस द्वारा अधिभोग में लिए गए आवास के वर्ग का हकदार नहीं बनाती है तो उसे पुनः नियोजन के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार आवास का वर्ग आबंटित किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि उप–नियम (2) के अधीन अनुज्ञेय अवधि से परे विशेष मामले में और प्रतिधारण निम्न प्रकार से अनुज्ञात किया जा सकेगा।

| | | |
|---|---|---|
| (i) | आगामी तीन मास के लिए सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश के अनुमोदन से। | सामान्य लाइसैंस फीस के छह (6) गुणा के संदाय पर। |
| (ii) | आगामी तीन मास के लिए मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमोदन से। | सामान्य लाइसैंस फीस के बारह (12) गुणा के संदाय पर। |
| (iii) | आगामी छह मास के लिए मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमोदन से। | सामान्य लाइसैंस फीस के बीस (20) गुणा के संदाय पर। |
| (iv) | मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के सिवाए, इससे अधिक और कोई विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा। | सामान्य लाइसैंस फीस के बीस (20) गुणा के संदाय पर। |

परन्तु विस्तारण के लिए आवेदन प्राधिकृत अवधि के अवसान से एक मास पूर्व दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि विस्तारण पत्र केवल कुल किराए की अग्रिम में प्राप्ति के पश्चात् जारी किया जाएगा। तथापि, सेवारत सरकारी कर्मचारी को विस्तारण की दशा में किराए के संदाय की कटौती उसके वेतन से की जाएगी। कुल किराया जमा करने में असफलता की दशा में बेदखली की कार्यवाहियां तुरन्त प्रारम्भ की जाएंगी जो तीन मास में पूर्ण की जाएगीः

परन्तु यह और कि यदि कोई आबंटिती शैक्षणिक सत्र के दौरान स्थानान्तरित या सेवानिवृत्त हो जाता है और उसका / उसके बच्चे, यथास्थिति, / स्कूल / महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, तो आबंटिती को प्रत्येक मामले के गुण–अवगुण के आधार पर सचिव द्वारा इस प्रभाव का सम्बद्ध संस्थान से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन कि चालू शैक्षणिक वर्ष / सत्र पूर्ण होने तक आवास का प्रतिधारण अनुज्ञात किया जा सकेगा। ऐसे मामलों मे लाईसैंस फीस, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या स्थानान्तरण की दशा में नियमों के अधीन अनुज्ञात रियायत की अवधि से अधिक की अवधि के लिए मानक लाईसैंस फीस का चार गुणा प्रभार्य होगीः

परन्तु यह और कि किसी अधिकारी / कर्मचारी, जो भारत से बाहर विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश पर जाता है तो ऐसे किसी अधिकारी / कर्मचारी का सम्बन्धित विभाग द्वारा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व अनुमोदन से ऐसे आदेशों के निबन्धन और शर्तों में उपबन्ध करना अपेक्षित होगा कि वह ऐसे नियमों के उपबन्धों के अनुसार केवल उसके कुटुम्ब के वास्तविक प्रयोजन के लिए आबंटित सरकारी आवास, यदि कोई हो, को प्रतिधारित कर सकेगाः

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित घटनाओं की दशा में अधिकारियों / कर्मचारियों को यह शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे आबंटित सरकारी आवास का उपयोग केवल उसके कुटुम्ब के वास्तविक प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा और यदि किसी मामले में यह पाया जाता है कि आवास का उपयोग उसके कुटुम्ब के वास्तविक प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है तो सरकार, किसी अन्य अनुशासनिक कार्यवाही, जो उसके विरुद्ध की जा सकेगी, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आवास का आबंटन रद्द कर सकेगी।

हस्ताक्षरित / –
देवेश कुमार
सचिव (सामान्य प्रशासन)।

*[Authoritative English text of this Department's Notification No. GAD-D-7(G)1-12/81-IV dated 1-1-2021 as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].*

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT**
(Section-D)

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 1st January, 2021*

**No. GAD-D-7(G)1-12/81-IV.—**In exercise of the powers conferred under rule-45 of the Fundamental Rules, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1994, notified *vide* this Department notification No. GAD-7(G)1-12/81, dated 1st June, 1994 and published in Rajpatra, (Extra Ordinary) Himachal Pradesh on 18th July, 1994, namely:—

**1. Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) 12th Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rejpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

**2. Amendment of rule-5.—**For rule-5 of the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1994 (hereinafter referred to as the said rules), the following shall be substituted, namely:—

**"Classification of Residences:-**

Save as otherwise provided in these rules, the officers/official shall be eligible for allotment of different types of residences on the basis of Grade Pay or Basic Pay or level in the pay matrix, whichever is applicable, shown in the tables below:—

**Table-I**

| Sl. No. | Type of residence | Grade Pay drawn by the Officer or Official |
|---|---|---|
| 1. | I | ₹ 1300/- ₹ 1650 |
| 2. | II | ₹ 1900/- ₹ 3600 |
| 3. | III | ₹ 3800/- ₹ 5000 |
| 4. | IV | ₹ 5400-/ ₹ 8400 |
| 5. | V | ₹ 8600/- ₹ 9000/- |
| 6. | VI | ₹ 10000/- and above |

**Explanation.—**In case of officer who is under suspension the Grade Pay drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension or if

he is placed under suspension on the first day of allotment year, the grade pay drawn by him immediately before that shall be taken into consideration. Allotment of residential accommodation to the officers/officials under suspension shall be made under rule-7 as if the suspension has not taken place.

**Table-II**

| Sl. No. | Type of residence | Basic pay drawn by the Officer |
|---|---|---|
| 1. | VII | ₹ 67,000/- to ₹ 79,000/- |
| 2. | VIII | ₹ 80,000/- and above |

**Table-III**

| Sl. No. | Type of residence | Basic pay drawn by the Judicial Officers |
|---|---|---|
| 1 | IV | ₹ 27700/- ₹ 51549 |
| 2 | V | ₹ 51550/- ₹ 57699 |
| 3 | VI | ₹ 57700/- ₹ 70289 |
| 4 | VII | ₹ 70290 & above. |

**Table-IV**

**Under these rules an applicant (AIS) shall be eligible for allotment of Government residential accommodation of the type as shown in the column (1) as per the level in the pay matrix specified in the corresponding column(3), in the table below:—**

| Type of residence | Pre-revised Grade pay | Level in the pay matrix in revised scale (*w.e.f* 1-1-2016) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| IV | ₹ 5400<br><br>₹ 6600<br><br>₹ 7600 | Level -10<br>₹ 56100 to ₹ 177500<br>Level-11<br>₹ 67700 to ₹ 208700<br>Level-12<br>₹ 78800 to ₹ 209200 |
| V | ₹ 8700<br><br>₹ 8900 | Level-13<br>₹ 123100 to ₹ 215900<br>Level- 13A<br>₹ 131100 to ₹ 216600 |
| VI | ₹10000 | Level-14<br>₹ 144200 to ₹ 218200 |
| VII | ₹ 67000<br>to<br>₹ 79,000 | Level -15<br>₹ 182200 to ₹ 224100<br>Level-16<br>₹ 205400 to ₹ 224400 |
| VIII | ₹ 80000 and above | Level-17<br>₹ 225000 |

**Explanation:-** For the removal of doubts it is hereby clarified that:—

(a) The eligibility of an employee for Govt. accommodation shall be determined as per the Grade Pay/ Basic pay/ level in pay matrix of the employee in his/her present post held in the State Government.

(b) The date of priority in respect of houses from Type-I to Type-III shall be the date of joining in the services under State Government. If the date of joining is the same then the priority will be determined as under:—

(i) The official having higher pay shall be senior in the priority list.

(ii) If the pay is the same, the official retiring earlier will be accorded higher priority.

(c ) The *inter-se*-seniority for the houses Type-IV onwards shall be considered on the basis of the following factors:—

(i) The Grade pay/Basic pay /level in pay matrix of the officer.

(ii) The priority date of an applicant, within the same Grade Pay/Basic pay/level in pay matrix, shall be the date from which the applicant is continuously drawing his such grade pay/basic pay/level in pay matrix.

(iii) Where the priority date of two or more officers is the same, the *inter se*-seniority of the officers shall be determined on the basis of the basic pay *i.e.* the officers who have a higher pay shall be senior in the waiting list.

(iv) Where the priority date and the basic pay of two or more officers are the same, the earlier date of joining in the service of State Government shall be next determining principle of *inter-se*-seniority.

(v) Where the priority date, basic pay and date of joining in the service of the State Government of two or more officers are the same, the officers retiring earlier may be accorded higher priority over the officers retiring later.

(d) Officers entitled for Type-IV and above houses shall also be eligible to apply for accommodation below their entitlement subject to the condition that such accommodation shall not be below Type-IV.

(e) No junior batch employee of the same service shall got priority over the senior batch officer of same service.

**3. Amendment of rule-6.—** For sub-rule (2) of rule -6 of the said rules, the following shall be substituted namely:—

"(2) The applications received during the calendar year shall be considered after receipt of the application form by Director of Estates, H.P. for that calendar year and shall be valid upto 31st December of that year.

The applicant shall make an application online or manually through his office to the Director of Estates in the prescribed form for allotment of accommodation on 'priority basis' and on 'out of turn basis' to which, he is eligible or entitled under these Rules. Applications not made on the prescribed form shall not be considered valid for any kind of allotment".

**4. Amendment of rule-10.—**For sub-rule(2) of rule-10 of the said rules, the following shall be substituted namely:—

A residence allotted to an officer may, subject to sub-rule (3) be retained on the happening of any of the events specified in column 1 of the table below for the period specified in the corresponding entry in column 2 thereof:

Provided that the residence is required for the bonafide use of the officer or members of his family:-

| Sl. No. | Event | Permissible period of retention |
|---|---|---|
| (i) | Resignation, dismissal, removal or termination of services or unauthorized absence without permission. | 4 months |
| (ii) | Retirement or terminal leave | 4 months |
| (iii) | Transfer outside the station | 2 months or upto 10 days after date of possession at new place, whichever is earlier. |
| (iv) | Death of the allottee | One year |
| (v) | On proceeding on foreign service in India. | 2 months |
| (vi) | Temporary transfer in India or transfer to a place outside India. | 6 Months |
| (vii) | Transfer of an officer occupying an earmarked house. | One month from the date of handing over charge. |
| (viii) | Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave). | For the full period of leave subject to maximum of four months. |

| | | |
|---|---|---|
| (ix) | Leave preparatory to retirement or refused leave. | For the full period of leave subject to maximum of four months inclusive of the leave permissible at the time of retirement. |
| (x) | Deputation outside India | For the period of deputation not exceeding one year. |
| (xi) | Study leave in India or abroad | For the study period of leave |
| (xii) | On proceeding on training | For the full period of training |
| (xiii) | Maternity leave and Child care leave. | For a period of maternity /child care leave plus the leave granted in continuation. |
| (xiv) | Leave on medical grounds requiring hospitalization beyond four months. | Full period of leave |

**Explanation-1.—**The period permissible on transfer mentioned against items(iii), (vi) and (vii) shall be counted from the date of relinquishing charge plus the period of leave if any sanctioned to and availed of by the officer/official before joining duty in new office.

**Explanation-2**.—Where an officer/official is on medical leave without pay and allowances he may retain his residence by virtue of the concession under item (xiv) of the table below sub-rule (2), provided he remits the license fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such license fee for more than two months, the allotment shall stand cancelled.

**Explanation-3.—**Where a residence is retained under subrule(2) the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional periods.

**Explanation-4.—**An officer who has retained the residence by virtue of the concession under items (i) and (ii) of the above below sub-rule (2) shall, on re-employment in an eligible office within a period specified in the said table be entitled to retain that residence under these rules, provided if the emoluments of the officer on such re-employment do not entitle him to the type of residence occupied by him, he may be allotted a residence of the type as per the terms and conditions of re-employment:

Provided further that the further retention in a special case beyond the permissible period under sub-rule(2), may be allowed as under:—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Next 3 months with the approval of Secretary (GAD) to the Govt. of Himachal Pradesh. | On payment of six (6) times of the normal license fee. |
| (ii) | Next 3 months with the approval of Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh. | On payment of twelve (12) times of the normal license fee. |

| | | |
|---|---|---|
| (iii) | Next 6 months with the approval of Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh. | On payment of twenty (20) times of the normal license fee. |
| (iv) | No further extension except with the approval of CMM. | On payment of twenty (20) times of normal license fee. |

Provided further that the application for extension shall be given one month before the expiry of the authorized period:

Provided further that the extension letter shall be issued only after receipt of total rent in advance. However, in case of grant of extension to a serving Government servant payment of rent shall be deducted from his salary. In case of failure to deposit the total rent, eviction proceedings shall be initiated immediately which shall be completed within three months.

Provided further that if any allottee is transferred or retires in the mid-academic session and his/her children are studying in School/College, as the case may be, at the place of present posting, the allottee may be allowed by the Secretary on the basis of merits of each case to retain the accommodation till that current academic year/semester is completed subject to production of certificate from the concerned institution to this effect. License fee chargeable in such case shall be Four times of the pooled standard license fee for the period beyond the concessional period permitted under the rules in cases of retirement or transfer, as the case may be.

Provided further that in case of officer/official who proceeds on foreign service abroad or on deputation out side India, study leave in India or abroad, the department concerned of any officer/official is required to make the provision in terms and conditions of such orders with prior approval of the Government in General Administration Department that he/she can retain the Government residential accommodation, if any allotted only for the bonafide purpose of his/her family as per provisions of the rules:

Provided further that officers/officials in the events mentioned above shall furnish an affidavit that the Government accommodation allotted to him/her shall be used only for the bonafide purpose of his/her family and in case it is found at any time that the accommodation is not used for the bonafide purpose of his/her family, the Government may, without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him/her, cancel the allotment of residence.

By order,

Sd/-
DEVESH KUMAR,
*Secretary (GAD).*

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)**

श्री गोल्डी ठाकुर पुत्र साधू, निवासी गांव व महाल परछी, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री गोल्डी ठाकुर पुत्र साधू, निवासी गांव व महाल परछी, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत कंगेड के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में गोल्डी ठाकुर दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल परछी के भू–इन्द्राज में गोल्डी कुमार दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल परछी के भू–राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम गोल्डी कुमार के बजाये गोल्डी ठाकुर दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10–01–2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 16–12–2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)**

श्री बन्सी लाल पुत्र रुपसेन, निवासी गांव करेरी, महाल कुण्डा, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री बन्सी लाल पुत्र रुपसेन, निवासी गांव करेरी, महाल कुण्डा, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत नडल के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में बन्सी लाल दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल कुण्डा के भू–राजस्व अभिलेख वन्शी राम दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल कुण्डा के भू–राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम वन्शी राम के बजाये बन्सी लाल दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10–01–2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 17–12–2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)**

श्रीमती मीमो पत्नी हंस राज, निवासी गांव फंगेई, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थिन श्रीमती मीमो पत्नी हंस राज, निवासी गांव फंगेई, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थिन का नाम ग्राम पंचायत गुवालू के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में मीमो दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल बलहौता के भू–इन्द्राज में मिसो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल बलहौता के भू–राजस्व अभिलेख में आवेदिका अपना नाम मिसो के बजाये मीमो दुरुस्त दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10–01–2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिन का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 16–12–2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

————————

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 20 / 2020

श्रीमती कला देवी पत्नी श्री हर दास, निवासी चाटी, डा0 रामपुर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

विषय.–प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

इस कार्यालय में श्रीमती कला देवी पत्नी श्री हर दास, निवासी चाटी, डा0 रामपुर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे पति की बुआ बिन्दरी देवी की मृत्यु पर ही हुआ है। जिसका नाम अज्ञानता के कारण व ईलाकागैर रहने से जन्म मृत्यु पंजी में दर्ज नहीं कर सकी है और बिन्दरी देवी की मृत्यु दिनांक 15–01–2005 को स्थान चाटी में हुई है। सायला ने ग्राम पंचायत तुनन में अपने पति की बुआ का नाम दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को विन्दरी देवी के नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत तुनन में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 20–01–2021 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव, ग्राम पंचायत तुनन को नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 21–12–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

————————

## ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा.––राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

श्रीमती बबली देवी पुत्री श्री शोभा राम, निवासी गांव जरोल, फाटी रतवाह, कोठी मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने बमय शपथ–पत्र इस कार्यालय / न्यायालय में प्रार्थना–पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में बेगमा देवी लिखा गया है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थिनी का नाम बबली देवी है जो कि सही है। इसे दुरुस्त करवाना चाहती है।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में बेगमा देवी की जगह ववली देवी करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15–01–2021 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 11–12–2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

**In the Court of Sh. Anurag Chander Sharma, Marriage Officer-**cum-**Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

1. Tenzin Topjor s/o Sh. Penpa, r/o Upper TCV School Naddi, Distt. Kangra (H.P.).

2. Sushma d/o Sh. Pemba Ram, r/o Village Ropa, P.O. Banjaura, Teh. & Distt. Kullu.

*Versus*

General Public

*Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.*

Tenzin Topjor and Sushma have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-12-2020 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid.*

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-01-2021. The objection received after 11-01-2021 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 11-12-2020 under my hand and seal of the court.

Sd/-

Seal. *Marriage Officer*-cum-*Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).*

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-**cum-**Marriage Officer Manali, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Bibi Singh s/o Sh. Sukh Bahadur, r/o House No. 28, Village Neenu Nalla, P.O. Thella Parli, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.), and

Manju d/o Sh. Suka Lama, r/o Village & P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

*Versus*

General Public

*An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.*

Whereas Sh. Bibi Singh s/o Sh. Sukh Bahadur, r/o House No. 28, Village Neenu Nalla, P.O. Thella Parli, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.), and Manju d/o Sh. Suka Lama, r/o Village & P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 18-12-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 18-01-2021 to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 22nd day of December, 2020.

Seal. Sd/-

*Special Marriage Officer*-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
*Manali, District Kullu (H.P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

I, Ashwani Kumar (53) s/o Sh. Ram Prasad Awasthi, Village Aima, P.O. and Tehsil Palampur, District Kangra (H. P.). I make a statement that my son's name is Ayush in the tenth and twelfth Certificates which is wrong and the rest of the documents have Ayush Awasthi, which is correct. Therefore, enter the name Ayush Awasthi in the tenth-twelfth Certificate also. Note all.

ASHWANI KUMAR
*s/o Sh. Ram Prasad Awasthi,*
*Village Aima, P.O. and Tehsil Palampur,*
*District Kangra (H. P.)*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है